(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 22/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

सा.का.नि._____(अ).- केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 717 (अ), तारीख 28 जून,2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून,2017 और जिसको सा.का.नि. सं. 596(अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, ''30 सितम्बर, 2018'' अंको और शब्द के स्थान पर ''30 सितम्बर, 2019'' अंक और शब्द रखे जाएंगें।

[फा.स. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 717(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 8/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 596(अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.12/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा किया गया था।